पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.02.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री वृज किशोर विन्द, स०वि०स०	"बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये 80 आवासीय विद्यालय में से शिवहर को छोड़कर 79 विद्यालय संचालित है । जिसमें नालंदा जिले के राजगीर, नवादा के सिरदल्ला, गया के आमस, फतेहपुर, गुरूआ, तपोवन बजीरगंज, डुमरिया एवं मोहनपुर, भोजपुर के मौलाबाग एवं आरा, रोहतास के बुथुआ, सोली, नागा टोली एवं सासाराम, कैमूर के मसानी, आथन, सड़की, सोमरा एवं कोल्हुआ, बेगूसराय के भर्रा, लखीसराय, खगड़िया के अलौली, मुंगेर, शिवहर, सहरसा के अमरपुर, समस्तीपुर के रोसड़ा तथा भागलपुर के कम्पनीबाग आवासीय विद्यालयों के पास मानक के अनुसार भूमि नहीं है । उक्त 29 विद्यालयों को 5 से 10 एकड़ जमीन उपलबध कराने के लिये विभागीय सचिव, बिहार द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को एक वर्ष पूर्व पत्र दिया गया था । परन्तु अभीतक भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है । जिस कारण बच्चों को शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में प्रतिकूल असर पड़ रहा है । अत: उक्त 29 आवासीय विद्यालयों के मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण

1	2	3	4
2.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०	"भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के महुली घाट पर पीपा पुल के निर्माण की मांग कई दशकों से हो रही है । इस पीपा पुल की उपयोगिता राज्य के अन्य पीपा पुलों से बहुत अधिक रहने के बावजूद आजतक इसका निर्माण नहीं हुआ है । यह पीपा पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है । साथ ही, लोकनायक स्व० जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा को भी जोड़ता है । यह पीपा पुल मात्र पथों को जोड़ने का काम नहीं करता बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश की दो संस्कृतियों को भी जोड़ता है । अत: बड़हरा प्रखंड के महुली घाट पर पीपा पुल के निर्माण की दशकों पुरानी मांग को जनहित में पूरा कराये जाने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/14- 412 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.2.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/14- 412 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19.2.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।